सत्यमेव जयते

खंड ८ संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त
सरकारी रिपोर्ट

सोमवार, तिथि १२ सितम्बर, १९५५ ।

Vol. VIII No. 1

The
Bihar Legislative Assembly
Debates
Official Report

Monday, the 12th September 1955.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५६ ।

[मूल्य—६ आना ।]
[*Price—Annas 6.*]

बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि २७ सितम्बर, १९५५ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय उपाध्यक्ष श्री जगत नारायण लाल के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

हीरा लाल की बरखास्तगी।

२४। श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल—दया मंत्री, हरिजन कल्याण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या हीरा लाल दास, जो प्रतापगंज, जिला सहरसा में जोनल सेवक के पद पर थे, सहरसा के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्यायपूर्वक बरखास्त (डिसचार्ज) कर दिये गये हैं और उनकी गत चार वर्षों का बढ़ोतरी (इन्क्रीमेन्ट), वेतन तथा सहरसा के कार्य काल का सफर का भत्ता भी रोक लिया गया है;

(२) यदि खंड (१) का उत्तर 'हां' है, तो उन्हें डिसचार्ज करने का कारण क्या-क्या है;

(३) क्या श्री हीरा लाल दास से कैफियत मांगी गयी थी या उन्हें अपनी बरखास्तगी के खिलाफ वजह दिखाने का अवसर दिया गया था;

(४) क्या श्री हीरा लाल दास ने सहरसा के जिला मजिस्ट्रेट, भागलपुर डिवीजन के कमिश्नर, हरिजन कल्याण विभाग के सचिव तथा हरिजन कल्याण विभाग के मंत्री को अपनी गुहार (रिप्रेजेंटेशन) भेजी है;

(५) उस पर कमिश्नर तथा सचिव महोदयों ने क्या-क्या आज्ञायें दी हैं?

श्री भोला पासवान—(१) श्री हीरालाल दास, सहरसा जिले के प्रतापगंज थाने में जोनल सेवक के पद पर थे। असंतोषजनक कार्य होने के कारण उन्हें जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा से बरखास्त कर दिया गया है। उनके बढ़ोतरी और सफर भत्ता अभी तक नहीं दिया जा सकता है क्योंकि बढ़ोत्तरी के बिल पर महालेखापाल के प्रीआडिट की जरूरत ह और इसके संबंध में काररवाई हो रही है।

(२) इसका उत्तर खंड (१) में दे दिया गया है।

(३) इसका उत्तर नकारात्मक है।

(४) इसका उत्तर स्वीकारात्मक है।

(५) उनके रिप्रेजेन्टेशन की जांच हो रही है।

श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल—मैं जानना चाहता हूं कि जब तक उनके रिप्रेजेन्टेशन की जांच पूरी न हो जाय तब तक क्या उनको बरखास्त करने के बदले उनको सस्पेन्ड करने पर सरकार विचार करेगी?

THE BIHAR TENANCY (AMENDMENT) BILL, 1955 (BILL NO. 26 OF 1955).

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

उपाध्यक्ष—तीन मोशन सेलेक्ट कमिटी में भेजने के लिए माननीय सदस्यों की ओर से है। अब जब माननीय राजस्व मंत्री ने स्वयं सेलेक्ट कमिटी का प्रस्ताव उपस्थित किया है तो वे अनावश्यक हैं।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दी थी कि बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ पर विचार हो और मेरा इरादा था कि इस संबंध में जो बातें मुझे कहनी हैं मैं कहूं लेकिन चूंकि मैंने यह प्रस्ताव किया है कि बिहार टिनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ को सेलेक्ट कमिटी में भेजा जाय इसलिए अब इस समय नहीं कह रहा हूं जब सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट आ जायगी तब उस मौके पर इसके प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ एक प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री राम सुन्दर तिवारी—मेरा एक प्वाएन्ट ऑफ ऑर्डर है। अभी माननीय राजस्व मंत्री ने जिस बिल को सेलेक्ट कमिटी में भेजने के लिए मोशन मूव किया है उस संबंध में मुझे यह कहना है कि आपकी ओर से जो कागजात बांटे गए हैं उसमें श्री जगदीश शर्मा का एक प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाय और श्री शिवव्रत नारायण सिंह का भी इसी आशय का अमेंडमेंट है।

उपाध्यक्ष—जनमत का प्रस्ताव तो किसी ने पेश नहीं किया यह उनकी ड्यूटी है कि वे उठ कर उपस्थित करें। सेलेक्ट कमिटी का जो मोशन था उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया कि चूंकि राजस्व मंत्री ने स्वयं सेलेक्ट कमिटी का प्रस्ताव रखा है इसलिए वह आउट ऑफ ऑर्डर है। जनमत का प्रस्ताव मेरे सामने पेश नहीं किया गया है।

*श्री शिवव्रत नारायण सिंह—हमलोगों का प्रस्ताव था कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाय लेकिन हमलोगों से पूछा नहीं गया। जनमत जाननेवाले प्रस्ताव को पहले पेश करना चाहिए था। हमलोगों से पूछा नहीं गया है कि पेश करते हैं या नहीं।

उपाध्यक्ष—राजस्व मंत्री को पहले विचार का प्रश्न उपस्थित करना था लेकिन उन्होंने सेलेक्ट कमिटी के प्रस्ताव को पेश किया। जो सदस्य जनमत का प्रस्ताव पेश करना चाहते थे उनको उठ कर पेश करना चाहिए था। अगर फिर माननीय सदस्य चाहें कि जनमत में भेजने के प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी जाय तो मैं देता हूं।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—जब आप ने एक मोशन एलाऊ कर दिया और माननीय राजस्व मंत्री ने आपकी आज्ञा के मुताबिक सेलेक्ट कमिटी के प्रस्ताव को पेश कर दिया और किसी ने आपके सामने कोई सुझाव नहीं लाया कि जनमत जानने के लिए इसको प्रचारित किया जाय, वे लोग बैठे रहे और किसी ने कोई ओवजेक्शन नहीं रेज किया इसलिए मेरा कनटेनशन है कि अब वह स्टेज पार कर गया कि जनमत का प्रस्ताव पेश किया जाय। अब माननीय राजस्व मंत्री का सेलेक्ट कमिटी में भेजने का जो प्रस्ताव है वही हमलोगों के सामने है। इस स्टेज पर यह चीज नहीं उठायी जा सकती है। आप की रूलिंग हो गयी। फिर से आप गौर कीजिए। यह अजीब तरह की बात हो जायगी और एक नयी बात होगी इसलिए आप इसको रिकंसीडर कीजिए और जो माननीय राजस्व मंत्री का प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है वही रहे।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य, श्री शिवव्रत नारायण सिंह ने यह बात उठायी है इसलिए उन्हें में बोलने की इजाजत देता हूं। परन्तु वे संक्षेप में बोलें।

श्री शिवव्रत नारायण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह सिस्टम चला आ रहा है कि अध्यक्ष महोदय, सदस्यों से पूछते हैं कि अमुक प्रस्ताव पर अमुक व्यक्ति बोलना चाहते हैं या नहीं या उसे पेश करना चाहते हैं या नहीं, यही परम्परा है और यही नियम है। परन्तु यह बात हमलोगों से पूछी नहीं गयी और माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने सेलेक्ट कमिटी का प्रस्ताव पेश कर दिया। यही मेरा प्वाएंट ऑफ आर्डर है। और यही कहना था कि हमलोगों से पूछना चाहिए था कि प्रस्ताव पेश किया जायगा या नहीं। हमलोगों का ख्याल था कि हमलोगों से पूछा जायगा और हमलोग बोलेंगे।

उपाध्यक्ष—जो प्वाएंट ऑफ आर्डर श्री हरिहर प्रसाद सिंह ने उठाया है वह किसी हद तक ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी हद तक इसलिए ठीक है कि उन्होंने इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। मैंने रूलिंग नहीं दी थी लेकिन मैं यह बतला देना चाहता हूं कि श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, राजस्व मंत्री, ने बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५५, पर विचार के प्रस्ताव के बदले प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव पेश कर दिया, यह उनका हक था और इसके अनुसार उन्होंने पेश किया। अब जिन माननीय सदस्यों को जनमत के प्रस्ताव पर बोलना था या प्रस्ताव पेश करना था, वे स्वयं उठते तो एक बात थी। रूल के अनुसार यह जरूरी नहीं है कि उन्हें पुकारा जाय। चूंकि परम्परा की चर्चा चली, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें बोलने का मौका दूं, लेकिन जिन माननीय सदस्य ने यह बात उठायी है उनका न तो सरकुलेशन मोशन है और न कोई दूसरा मोशन है और जिन माननीय सदस्यों का मोशन है वे उठे ही नहीं। इसलिए यह प्वाएंट आफ ऑर्डर आवश्यक नहीं मालूम होता।

श्री शिवव्रत नारायण सिंह—हुजूर, देखा जाय हमारा एक मोशन है।

उपाध्यक्ष—हां, आपका एक मोशन है, मैंने देखा। क्या आप इसे पेश करना चाहते हैं?

श्री शिवव्रत नारायण सिंह—जी नहीं, मैं पेश करना नहीं चाहता ।

उपाध्यक्ष—तो मैं अब ऐसा मानता हूं कि कोई माननीय सदस्य जनमत जानने का प्रस्ताव पेश नहीं करेंगे और सेलेक्ट कमिटी के प्रस्ताव माननीय मंत्री ने पेश कर ही दिया है लेकिन उन्होंने इसमें तारीख नहीं दी है.....

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—२९ सितम्बर, १९५५, की तारीख रख दी जाय ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

दि बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ एक प्रवर समिति को इस विधेयक के साथ सौंपा जाय कि वह समिति २९ सितम्बर, १९५५ को अपना प्रतिवेदन उपस्थित करे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सेलेक्ट कमिटी के निम्नलिखित सदस्य हों :—

१ । श्री बिनोदानन्द झा,
२ । श्री हरिहर प्रसाद सिंह,
३ । श्री जगन्नाथ सिंह,
४ । श्री रामनारायण मंडल,
५ । श्री गुप्त नाथ सिंह,
६ । श्री कमला राय,
७ । श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी,
८ । श्री देवकी नन्दन झा,
९ । श्री मोहिउद्दीन मोख्तार,
१० । श्री दुर्गा मंडल,
११ । श्री लाल सिंह त्यागी,
१२ । श्री हेमराज यादव,
१३ । श्री अवध विहारी दीक्षित,
१४ । श्री जानकी प्रसाद सिंह,
१५ । श्रीमती राजेश्वरी सरोज दास,
१६ । श्री उपेन्द्र नारायण सिंह,
१७ । श्री व्रज विहारी शर्मा,
१८ । श्री वसावन सिंह,
१९ । श्री कर्पूरी ठाकुर,

२०। श्री हरमन लकड़ा,
२१। श्री शुभनाथ देवगम,
२२। श्री रामेश्वर प्रसाद यादव,
२३। श्री समरेंद्र नाथ ओझा,
२४। श्री यमुना प्रसाद सिंह, तथा
२५। प्रस्तावक।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

जिस प्रवर समिति को बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ सौंपा गया है उसके निम्नलिखित सदस्य हों :—

१। श्री विनोदानन्द झा,
२। श्री हरिहर प्रसाद सिंह,
३। श्री जगन्नाथ सिंह,
४। श्री रामनारायण मंडल,
५। श्री गुप्तनाथ सिंह,
६। श्री कमला राय,
७। श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी,
८। श्री देवकी नन्दन झा,
९। श्री मोहिउद्दीन मोख्तार,
१०। श्री दुर्गा मंडल,
११। श्री लाल सिंह त्यागी,
१२। श्री हेमराज यादव,
१३। श्री अबध बिहारी दीक्षित,
१४। श्री जानकी प्रसाद सिंह,
१५। श्रीमती राजेश्वरी सरोज दास,
१६। श्री उपेन्द्र नारायण सिंह,
१७। श्री ब्रज बिहारी शर्मा,
१८। श्री बसावन सिंह,
१९। श्री कर्पूरी ठाकुर,
२०। श्री हरमन लकड़ा,
२१। श्री शुभनाथ देवगम,
२२। श्री रामेश्वर प्रसाद यादव,
२३। श्री समरेंद्र नाथ ओझा,

२४। श्री यमुना प्रसाद सिंह, तथा

२५। श्री कृष्ण वल्लभ सहाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—इस प्रवर समिति के सभापति राजस्व मंत्री होंगे।

बिहार प्रिजर्वेशन ऐंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ऐनिमल्स बिल, १९५३ (१९५३ की वि० सं० ३०)।

THE BIHAR PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF ANIMALS BILL, 1953 (BILL NO. 30 OF 1953).

श्री पौल दयाल—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद थी कि मंत्रीजी अपनी बातों में फैक्ट और फिगर भी देंगे कि हमारे सूबे में कितने जानवरों का बध होता है, कितने जानवर नेचुरल डेथ से मरते हैं। इससे हमलोगों को मालूम हो जाता कि इस बिल को लाने की क्या जरूरत है। इस कारण हमलोग नहीं जानते कि हमारे यहां मवेशियों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है, अगर मवेशियों की संख्या घटती जा रही है तो इसका आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और बिना मवेशियों के जोत वगैरह नहीं हो सकता है।

श्री हरिवंश नारायण सिंह ने सेंटीमेंट की बात कही है। उनका कहना है कि २० प्रतिशत लोगों के सेंटीमेंट को बचाने के लिये ८० प्रतिशत लोगों के सेंटीमेंट पर आघात नहीं पहुंचा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। हम कहेंगे कि मिनोरिटी को यह सुनकर दुःख होगा। यदि हर जगह मेजोरिटी अपनी इच्छा को मिनोरिटी पर लागू करना चाहे तो यह मुश्किल होगा और इस सेकुलर स्टेट में रहना मुश्किल हो जायगा। इसलिये उन्होंने जिस प्रिंसिपल की बात कही है वह गलत है।

श्री जगलाल चौधरी ने बताया कि हमारे यहां मिल्च काउ ७ करोड़ हैं। मैं उनके फिगर को सही मानता हूं तो बुलौक्स १४ करोड़ हैं और बछिया भी ७ करोड़ हैं। इस प्रकार हमारे यहां २८ करोड़ मवेशी हो जाते हैं।

श्री जगलाल चौधरी—मैंने जो फिगर दिया उसको आप मिसकोट कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारे सूबे में ७ करोड़ मिल्च काउ हैं। बाकी फिगर आप अपने मन से अन्दाज कर लें तो यह अलग बात है।

श्री पौल दयाल—मैं इनके फिगर को मान लेता हूं। अगर मंत्रीजी यह कहते कि मेजोरिटी के सेंटीमेंट को बचाने के लिये हमने बिल लाया है तो मैं सबसे पहले इसका समर्थन करता। लेकिन इसको तो हमलोगों ने इकानमिक इम्प्रूवमेंट के लिये लाया है और मेरा विचार है कि इस ख्याल से यह बिल खतरनाक है। यदि सलौटर बन्द हो जाय तो एक साल में मवेशियों की संख्या कितनी बढ़ जायगी इसका पता हमलोगों को नहीं है। लेकिन यह ठीक है कि जानवरों की संख्या हमारे यहां बढ़ेगी। हमारे यहां चारागाह की कमी है और मवेशियों की संख्या बढ़ने से उनको खाने की तकलीफ होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद हमारे